अ०सं०क०–01–36/2015 खण्ड–II ...../

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

पीठासीन पदाधिकारी
बिहार वक्फ न्यायाधिकरण, पटना।

प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लि०, पटना।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार राज्य सुन्नी/शिया वक्फ बोर्ड/हज समिति, पटना।

सदस्य सचिव,
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, पटना।

सभी उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी
जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, बिहार।

पटना, दिनांक–...../

विषय :– **वेतनादि एवं अन्य भत्तों के भुगतान से संबंधित कंडिकावार सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त के संबंध में दिनांक–22.10.2026 को सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा VC के माध्यम से आवश्यक दिशानिर्देश दिया गया था।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके कार्यालय में नियमित/संविदा के आधार पर पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को अभी तक वेतनादि एवं अन्य भत्तों के मद में भुगतान की गई राशि से संबंधित निम्नवत् कंडिकावार सूचना यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराने सहित यह प्रमाण–पत्र भी उपलब्ध करायी जाय कि किसी भी पदाधिकारी अथवा कर्मचारियों को उनके पात्रता (Entitlement) से अधिक राशि का भुगतान नहीं किया गया है:–

i. **अन्य पे (Other Pay) प्रतिमाह 10,000 से अधिक का भुगतान।**
ii. **अधिसूचित दर (Notified rate) से अधिक महंगाई भत्ता का भुगतान।**
iii. **सरकारी वाहन (Government Vehicle) मिलने के बावजूद सीटीए (CTA) का भुगतान।**
iv. **सरकारी आवास (Government Quarter) मिलने के बावजूद HRA का भुगतान।**
v. **एक ही कार्यालय से दो बार भुगतान।**
vi. **HRA और CTA का निर्धारित सीमा से अधिक भुगतान।**
vii. **सेवानिवृति (Retirement) के बाद के बिल की स्थिति।**
viii. **दो भिन्न–भिन्न कार्यालयों से दो बार भुगतान।**
ix. **10,000 या उससे अधिक विशेष वेतन (Special Pay) का भुगतान।**
x. **सामान्य भविष्य निधि (GPF) वाले कर्मचारियों के वेतन से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) की कटौती।**

विश्वासभाजन

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– अ०सं०क०–01–36 / 2015 खण्ड–II 4478 पटना, दिनांक– 27/10/26

प्रतिलिपि :– सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं समरूप कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई०टी०मैनेजर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट को अपलोड करने के निदेश के साथ प्रेषित।

संजय–26.10.26
सरकार के संयुक्त सचिव